



Indian-Non Judicial Stamp  
Haryana Government



Date : 30/12/2017

Certificate No. SB302017L1



Stamp Duty Paid : ₹ 9450

GRN No. 32467763



Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

**Seller / First Party Detail**

Name: Rakesh Kumar

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

LandMark : Kosli

City/Village : Delhi

District : Delhi

State : Delhi

Phone : 00

1603  
01/1/18



**Buyer / Second Party Detail**

Name : Shri krishana Educational charitable Trust

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

LandMark : Kosli

City/Village : Jatusana

District : Rewari

State : Haryana

Phone : 00

Others : Chairman smt sheela devi wife of sh rajbir singh

Purpose : Lease deed in favour of Rakesh Kumar

The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

पट्टानाम अरसा तीस साल लगान 35,000 रूपये सालाना

Certificate No. SB302017L1 GRN No. 32467763  
dated 30-12-2017

मै कि राकेश कुमार पुत्र श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री हजारीलाल निवासी  
मोजा RZF 130, Gali No. 20 Sadh Nagar  
Palam Colony South West Delhi-110045  
— पट्टा कर्ता (फरीक अब्बल) वा श्री कृष्णा एजुकेशनल ओर चैरीटेबल  
ट्रस्ट जाटूसाना तहसील व जिला रेवाडी बजरिये चेरमन श्रीमति शीला  
देवी पत्नी श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री हजारी लाल साकन RZF-273



प्रलेख नः 1603

दिनांक 01/01/2018

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम	LEASE
तहसील/सब-तहसील	कोसली
गांव/शहर	गुडीयानी

धन संबंधी विवरण			
राशि जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई	104,700.00 रुपये	स्टाम्प ड्यूटी की राशि	9,450.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि	1,000.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क	3.00 रुपये

Drafted By: Vk

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 01/01/2018 दिन सोमवार समय 1:32:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी राकेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राजबीर सिंह निवासी RZF 130,Gali No.20 Sadh Nagar Palam Colony South West Delhi -110045 द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी  
कोसली

श्री राकेश कुमार

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती शीला देवी पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी अब्दुल मजौद लम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी गुडीयानी व श्री/श्रीमती/कुमारी जितेन्द्र पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राजबीर निवासी साधनगर ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 01/01/2018

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी  
कोसली

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी  
कोसली

Gali No.20, Sadh Nagar Palam Colony, South West Delhi ———पट्टा ग्रहता (फरीक दायम) जो कि प्रस्ताव क्रमांक 43 दिनांकित 21-12-2017 श्री कृष्णा एजुकेशनल ओर चैरीटेबल ट्रस्ट जाटूसाना तहसील व जिला रेवाडी द्वारा पट्टा ग्रहन करने बारे पारित किया गया है। जो कि आराजी जरई खेवट नं 27 खाता नम्बर 27 मु0 नम्बर 102 किला नम्बर 28(32-8) किता 1 रकबा 32 कनाल 8 मरला का 1/36 भाग बकदर 0 कनाल 18 मरला व खेवट नं 30 खाता नम्बर 30 मु0 नम्बर 102 किला नम्बर 27/1(16-9) किता 1 रकबा 16 कनाल 9 मरला का 38/329 भाग बकदर 1 कनाल 18 मरला व खेवट नं 743 खाता नम्बर 793 मु0 नम्बर 101 किला नम्बर 11(7-13) किता 1 रकबा 7 कनाल 13 मरला हर तीन खेवट जात कुल रकबा 10 कनाल 9 मरला वाका मौजा गुडियानी तहसील कोसली जिला रेवाडी का बरुवे साल जमाबन्दी 2013-14 व इन्तकाल नम्बर 5356 की रूह से मालकियत फरीक अव्वल है। जो कि हर प्रकार के भार से मुक्त है। और ना ही उक्त अराजी का इस पट्टानामे से पहले कोई पट्टानामा/ईकरारनामा किया है, और ना ही उक्त आराजी पर किसी अदालत या किसी विभाग में कोई मुकदमा जेरे गौर है। जिसे मुझे पट्टानाम/मुन्तकिल करने का हक हासिल है। लिहाजा बदुरुस्ती होश व हवाश बरजाबन्दी खुद अब मैने अराजी मजकुराबाला को 30 वर्ष के लिए लगबान मु035,000/- रुपये (पैंतीस हजार रुपये) सालाना के हिसाब से वास्ते बनाने स्कूल वगैरा अरसा 30 साल अजमौरखा 01-01-2018 ता 31-12-2048 तक पास फरीक दायम पट्टे पर दे दी

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
1,603	2017-2018	1







पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला




गवाह

पट्टा देने वाला	राकेश कुमार	
पट्टा लेने वाला	श्रीमती शीला देवी	
गवाह	अब्दुल मजीद लम्बरदार	
गवाह	जितेन्द्र	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1,603 आज दिनांक 01/01/2018 को बही नः 1 जिल्द नः 96 के पृष्ठ नः 68 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,698 के पृष्ठ सख्या 79 से 81 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये हैं ।

दिनांक 01/01/2018

  
उप/सर्व्युक्त पंजीयन अधिकारी  
कोसली

है। कब्जा अराजी मकूर पर मौके पर फरीक दायम का करा दिया है। तथा हर दो फरीक निम्नलिखित शरायतों के जिम्मेवार वा पाबन्ध रहेंगे।

1. यह कि अराजी मजकूरा बाला का लगान मु035,000 /- रू0 (पैतीश हजार रूपये) सालाना के हिसाब से फरीक दायम, फरीक अब्बल को जनवरी माह की 1 से 10 तारीख के बीच चैक द्वारा अदा करेगा, यदि तीन माह (जनवरी से मार्च) तक किराया नहीं दिया जायेगा तो पट्टा नामा मनुसुख करवा दिया जायेगा।
2. यह कि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत किराये मे बढोतरी की जावेगी।
3. यह कि जो लगान फरीक दायम अदा करेगा तो उसकी रसीद अलग लेगा या पुश्त पट्टेनामें पर जमा करावेगा वर्ना मुजरा ना पावेगा।
4. यह कि फरीक दायम अराजी को सबलैट ना कर सकेगा।
5. यह कि अन्दर म्याद मजुजा तीस साल फरीक अब्बल फरीक दायम के कार्य में दखल अंदाजी ना दे सकेगा।
6. यह कि फरिफ दायम उक्त अराजी मे स्कूल बनाये, बिजली-पानी का कनैक्सन लेवे, एजुकेशन आर्थोटी से किसी भी प्रकार की प्रमिशन लेवे, किसी प्रकार का लैब, वर्कशाप बनाये किसी भी किसम की वोकेशनल वा प्रोफेशन संस्था चालू करे, केन्द्र सरकार व हरियाणा सरकार से सम्बंधित कार्यालयो से सभी प्रकार के अनापति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) लेवे फरिफे अब्बल को कोई एतराज ना होगा।
7. यह कि फरीक दायम पट्टानामा हाजा को कभी भी मन्सूख कर सकता है। मगर अदा की हुई राशि फरीक अब्बल वापीस नही करेगा। मगर फरीक अब्बल मन्सूख ना करा सकेगा।
8. यह कि उक्त पट्टानामा के फरिफ अब्बल वा उसके वरिसान जिम्मेवार वा पाबंद रहेंगे।